निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

संदर्भ सं.डीआईसीजीसी/आईओडी/ 628 /05.60.999/2016-17 अप्रैल 20, 2016

सभी बीमाकृत बैंक	All Insured Banks
महोदय/महोदया,	Dear Sir/Madam
निक्षेप बीमा प्रीमियम पर सेवाकर का भुगतान – कृषि कल्याण उपकर	**Payment of Service tax on Deposit Insurance Premium- Krishi Kalyan Cess**
कृपया आप 25 फरवरी 2016 का डीआईसीजीसी का परिपत्र सं. डीआईसीजीसी/ आईओडी/ 05.60.999/ 4687/ 2015-16 देखें। उक्त परिपत्र में सभी बीमाकृत बैंकों को यह सूचित किया गया था कि केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 की अधिसूचना द्वारा 15 नवंबर 2015 से "स्वच्छ भारत उपकर" लागू किया है। अतः कोई भी बैंक जिसने 15 नवंबर 2015 को अथवा उसके बाद प्रीमियम अदा किया है, उसे कर-योग्य सेवाओ के मूल्य अर्थात प्रीमियम राशि पर 14 प्रतिशत की दर से सेवाकर और 0.50 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत उपकर का भुगतान करना होगा। 2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रेस इंफॉरमेशन ब्यूरो की 29 फरवरी 2016 की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सभी कर योग्य सेवाओं पर 1 जून 2016 से कृषि कल्याण उपकार लागू किया है। 3. कोई भी बैंक जिसने 01 जून 2016 को अथवा उसके बाद प्रीमियम अदा किया है, उसे कर-योग्य सेवाओं के मूल्य अर्थात प्रीमियम राशि पर 14 प्रतिशत की दर से सेवाकर, 0.50 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत उपकर तथा 0.50 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण उपकर का भुगतान करना होगा। अतः कर-योग्य सेवाओं के मूल्य की 15 प्रतिशत	Please refer to DICGC Circular No. DICGC/IOD/05.60.999/4687/2015-16 dated February 25, 2016 wherein all insured banks were advised that Central Govt. vide notification dated November 06, 2015 has levied Swachh Bharat Cess from November 15, 2015. Therefore, all banks remitting premium on or after November 15, 2015 are liable to pay service tax rate @ 14. % and Swachh Bharat Cess @ 0.50 % of the value of taxable services i.e. amount of premium. 2. Government of India, Ministry of Finance through Press Information Bureau press release dated February 29, 2016 has proposed Krishi Kalyan Cess on all taxable services w.e.f June 01, 2016. 3. All banks remitting premium on or after June 01, 2016 are liable to pay Service Tax at the rate of 14.00%,Swachh Bharat Cess @ 0.5 % and Krishi Kalyan Cess @ 0.50% of the value of taxable services i.e. amount of premium.

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008
टेलिफोन: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 फैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008
Tel: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 Fax: 022-23018165,23015662,23021131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

राशि का भुगतान सेवाकर के रूप में करना होगा।	Thus, an amount of 15 % of the value of taxable services shall be paid as Service Tax.
भवदीया, (आर. एस. मोरिया) उप महाप्रबंधक	Yours faithfully, (R.S. Moria) Deputy General Manager

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008
टेलिफोन: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 फैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008
Tel: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 **Fax:** 022-23018165,23015662,23021131, **mail:** dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए